

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 52/2023

उनवान

विमला देवी पत्नी प्रहलाद सोनी निवासी तहनाल हाल आमेट जिला राजसमन्द

- प्रार्थिया

बनाम

- 1- कैलाश पुत्र गोपाल गुर्जर निवासी भगवानपुरा(तहनाल) तहसील शाहपुरा
- 2-5 जगदीश, रामस्वरूप, नारायण, सत्यनारायण पिता लादू बैरवा निवासी रामपुरा(तहनाल) तहसील शाहपुरा
- 6-10 कंचन, कमला, गुलाब, जगदीश, नारायण पिता लादू चमार निवासी तहनाल तहसील शाहपुरा
- 11-12 मनोहर, महादेव पिता देवकरण गुर्जर निवासी तहनाल तहसील शाहपुरा
- 13- रामदेवी पत्नी लादू बैरवा निवासी तहनाल तहसील शाहपुरा
- 14- रामप्यारी पुत्री लादू चमार निवासी तहनाल तहसील शाहपुरा
- 15- रामरतन पुत्र डूंगालाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता डूंगालाल चमार निवासी तहनाल तहसील शाहपुरा
- 16-17 रामस्वरूप, सत्तू पिता लादू बैरवा निवासी तहनाल तहसील शाहपुरा
- 18-20 मु. संजू, सीताराम, मु. सीमा पिता डूंगालाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता डूंगालाल चमार निवासी तहनाल तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थिया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 06.06.2023

प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम तहनाल पटवार हल्का तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 3295 रकबा 0.51 है0, 3296 रकबा 0.02 है0, 3297 रकबा 0.38 है0, कुल किता 3 रकबा 0.91 हैक्टेयर की प्रार्थिया सह खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थिया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 4, 6 लगायत 14, 16, 17 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 1, 5, 15, 18 से 20 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थिया के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थिया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम तहनाल पटवार हल्का तहनाल संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थिया के सह खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा तहनाल में स्थित प्रार्थिया की उपरोक्त सह खातेदारी की आराजीयात् किता 3 रकबा 0.91 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थिया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा